लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2021–22

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लेखों सम्बन्धी कार्य किये जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से उत्तराखण्ड के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड उत्तरदायी है। कोषागार राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामलों में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी और वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसके साथ ही लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियमों के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका में दिए गए प्रारूपों/दिशा निर्देशों एवं खण्ड–1 के पैरा 20.17 के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का वर्ष 2021–22 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है। यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है। द्वितीय भाग में लेखों की कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा तृतीय भाग में वर्ष 2021–22 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमितताओं का वृहत्तर रूप से विवरण किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

स्थान : देहरादून
दिनांक : 28.07.2022

(राजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राक्कथन	1
2.	मुख्य अंश	3
3.	भाग–1 प्रस्तावना	4 से 8
4.	भाग–2 लेखा विसंगतियां	9 से 13
5.	भाग–3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियां	14 से 25
6.	परिशिष्ट–1 से 15	26 से 58

मुख्य अंश

1.	कोषागार अतंरापृष्ठीय **(Treasury Interface)** के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.1)**
2.	त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.3)**
3.	सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं।	**(पैरा 2.6)**
4.	वर्ष **2021-22** में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण।	**(पैरा 3.1)**
5.	नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.2.1)**
6.	उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार निरीक्षण न किया जाना।	**(पैरा 3.2.2)**
7.	वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ	**(पैरा 3.3)**
8.	द्वितालक कक्ष में रखी गई बहुमुल्य वस्तुओं के संबंध में ।	**(पैरा 3.4.1)**
9.	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।	**(पैरा 3.5.1)**
10.	अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।	**(पैरा 3.5.2)**
11.	कोषागार डाटा बेस में 38 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।	**(पैरा 3.5.3)**

भाग–एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2021–22

भाग–1 : प्रस्तावना

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग–4 (2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार निदेशक, कोषागार (पेंशन एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागारों/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एंव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार कोषाधिकारी एवं उपकोषागार उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011, दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्पयूटरीकृत एवं ऑनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों को कोषागार की भाँति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

1.2 संरचना/ संगठन :

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2021-22 में कुल 19 कोषागार हैं (19 कोषागारों में एक, कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या केवल 18) एवं 70 उपकोषागार हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित एक साईबर कोषागार एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, कोषागार के रूप में कार्यरत हैं तथा लेखे प्रस्तुत करते हैं। अर्थात् राज्य में 13 सदर कोषागार तथा 6 कोषागार (कुल 19 कोषागार) 01 भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 01 साईबर कोषागार एवं 70 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत हैं।

परिशिष्ट–(01)

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

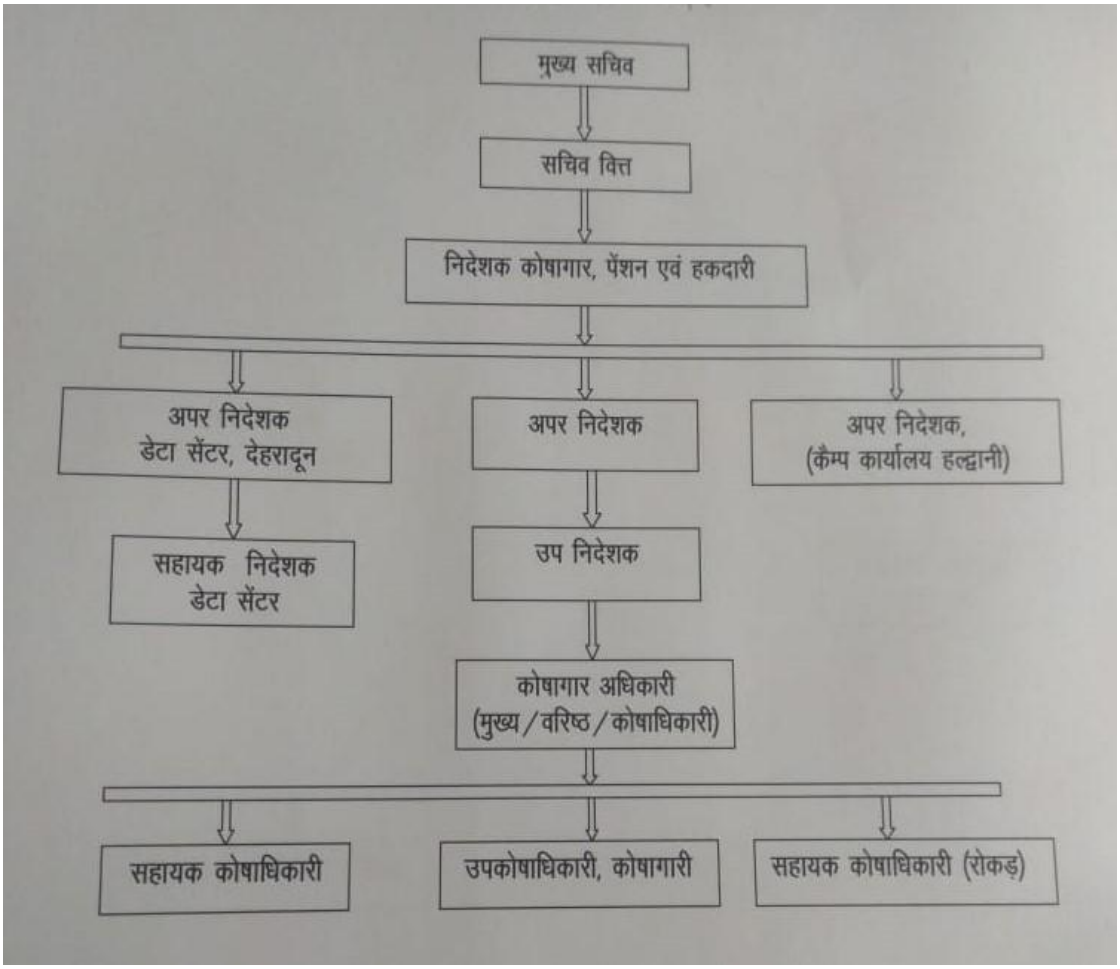

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ का उपयोग किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जाना निर्धारित है। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक/सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जाना था।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है।

1.3.1 वर्ष 2021-22 में राज्य के कोषागारों एवं उपकोषागारों के वार्षिक निरीक्षण से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्यों में उत्तराखण्ड में कोविड–19 महामारी के कारण केवल 7 कोषागारों एवं 7 उपकोषागारों का ही निरीक्षण किया गया है।

1.3.2 कोषागारों में कर्मचारी वर्ग की स्थिति–कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष में काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 36.73 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2019-20	929	580	349	37.56
2020-21	1012	712	300	29.64
2021-22	1002	634	368	36.73

1.4 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के अंतर्गत निम्न पदों की स्थापना की गयी है :–

1 निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी , देहरादून।
2 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,मुख्यालय, देहरादून।
3 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी।
4 अपर निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।
5 उप निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,मुख्यालय, देहरादून।
6 सहायक निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।

1.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली **(IFMS)** का क्रियान्वयन :

1 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत और स्वचालित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली **(IFMS)** लागू की गई है। इस प्रणाली से उपयोगकर्ताओं को एक "एण्ड टू एण्ड लेनदेन" का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के प्रयोगार्थ एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत शासन, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष के मध्य एकरूपता स्थापित की जानी थी। आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा पारदर्शी तरीके से नियत समय में राज्य के भुगतान संभव हो पा रहे हैं तथा व्यय से सम्बन्धित लेखांकन समेकित प्रक्रिया द्वारा त्वरित गति से संकलित हो रहे हैं।

IFMS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत निम्नलिखित मॉडयूल्स विकसित कर लिए गए हैंः–

1. पेरोल
2. पेंशन
3. बजट
4. एच.आर.एम.एस.
5. एकाउन्टिंग
6. बिल्स
7. टैक्सेशन

8. वर्क्स एकाउन्टिंग
9. ई–चालान
10. सोसाईटी एण्ड फर्म्स
11. एन.पी.एस.
12. इंटीग्रेशन–पी.एफ.एम.एस.,जी.एस.टी., ई–कुबेर आदि
13. एस.जी.एच.एस.

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

भाग-2 : लेखा विसंगतियां

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियां/विसंगतियांः

2.1 कोषागार अंतरापृष्ठीय **(Treasury Interface)** की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (Nil payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

2.2 मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2021-22 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेखा संशोधन का विवरण परिशिष्ट–(02) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(02)

2.3 त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैन्युअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2021-22 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या फिर मिलान आंशिक रूप से कराया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों की वित्तीय वर्ष **2021-22** में चतुर्थ त्रैमास तक मिलान आख्या।

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीस त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	19	27	11	22	11	19	13	16
आंशिक मिलान	4	26	10	24	9	30	13	36
मिलान नहीं कराया	25	9	27	16	28	13	22	10
कुल	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**
मिलान आख्या (प्रतिशत् में)	**48**	**85**	**44**	**74**	**42**	**79**	**54**	**84**

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय–व्यय मिलान की स्थिति परिशिष्ट–(03) में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–(03)

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्रैमासिक आय–व्यय के आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–(04) में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–(04)

2.4 मार्च, 2022 की मासिक लेखा समाप्ति पर तद्दिनांक तक ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष	ए0सी0 बिल आहरित		डी0सी0 बिल		लंबित ए0सी0 बिल	
	Items	**Amount in ₹**	**Items**	**Amount in ₹**	**Items**	**Amount in ₹**
2020–21	**78**	**5,66,75,291**	**75**	**5,46,75,291**	**3**	**20,00,000**
2021–22	**321**	**93,45,50,597**	**81**	**66,32,82,058**	**240**	**27,12,68,539**
योग	**399**	**99,12,25,888**	**156**	**71,79,57,349**	**243**	**27,32,68,539**

2.5 मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना समस्त कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को ससमय कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार को निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। प्रत्येक माह के लेखे अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है ताकि लेखे माह के 25 तारीख तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा सकें। परन्तु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोषागारों द्वारा **01** से **18** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये। विवरण परिशिष्ट–(05) में दिया गया है।

सभी कोषागारों द्वारा नियत तिथि का पालन न करने से राज्य सरकार को मासिक लेखें ससमय प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।

परिशिष्ट–(05)

2.6 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं ।

2.6.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 में 13 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि भुगतान से सम्बन्धित 59 प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट–(06) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(06)

2.6.2 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 5 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 7 प्रकरण जोकि 90 प्रतिशत् से अधिक भुगतान से सम्बन्धित हैं, संज्ञान में आये हैं, जिनमें से वर्तमान में 3 प्रकरण लम्बित हैं। इसका विवरण परिशिष्ट–(07) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(07)

2.6.3 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 6 कोषागारों के कुल 20 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या एवं नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस पर पोस्ट नहीं किया जा सका है, जिसके कारण उक्त अवधि में कुल धनराशि ₹ 2,53,100/–वर्तमान में असूचित (Un-Posted) में दर्ज हैं। इसका विवरण परिशिष्ट–(08) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(08)

2.6.4 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 20 कोषागारों की प्राप्ति के Full want/Part want के कुल 681 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित है। इसका विवरण परिशिष्ट–(09) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(09)

2.7 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों में कमियां/विसंगतियां पायी जानी।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत संस्थागत ऋणों के स्वीकृति आदेशों में ऋणों से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें जैसे ब्याज दर, मोरेटोरियम पीरियड़, ऋण की अवधि, किश्तों की संख्या को अंकित नहीं किया जाता है।

संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के चालानों पर इस कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले एस0एल0आर0 संख्या को अंकित नहीं किया जा रहा है जिस कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त ऋणों के लेखों के रखरखाव में असुविधा हो रही है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खारिज ऋणों एवं ऋण जिन्हें इक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है, की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

2.8 मुख्य लेखाशीर्ष 8793 से सम्बन्धित कमियां/विसंगतियां पाया जाना।

कोषागारो द्वारा अन्य राज्य पेंशन 8793 से संबंधित प्राप्त वाउचर/चालान में गलत वर्गीकरण किया जा रहा है जिसके कारण प्रति माह Correction of Accounts बनाना पड़ता है और प्रत्येक माह लेखा संशोधित करना पड़ता है। यह त्रुटी डाटा सेंन्टर द्वारा हो रही है, जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर के दावे निदेशक कोषागार द्वारा प्रायः विलम्ब से प्रेषित किये जाते हैं जिसके कारण प्रतिपूर्ति भी विलम्ब से हो रही है। जिसके कारण उच्चंत लेखाशीर्ष में धनराशि प्रदर्शित हो रही है जिसका समायोजन तद्दिनांक तक नहीं किया जा सका है।

2.9 वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्त तक सहायक अनुदान के सापेक्ष में **₹ 2,571.00** करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19	122	479.16	114	458.34	8	20.82
2019-20	149	1,537.25	110	1,152.39	39	384.86
2020-21	338	1,016.32	64	31.92	274	984.40

2021-22	301	1,180.92	0	0	301	1,180.92
योग	**910**	**4,213.65**	**288**	**1,642.65**	**622**	**2,571.00**

2.10 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ।

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेन्सी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों से प्राप्त एजेन्सी बैंकों की वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई। उक्त का निपटान इस कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर कोषागारों द्वारा (जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक/एजेन्सी बैंक के behalf पर descrepancies ना हो) शीघ्रतम किया जाना प्रावधानित है। परन्तु कोषागारों द्वारा विसंगतियों का निपटारा अत्यधिक विलम्ब से या किया ही नहीं जा रहा है। जिस कारण इस कार्यालय की आर0बी0डी0 ब्राडशीट में माह मार्च 2022 तक कुल विसंगति ₹ 1,240.80 करोड़ डेबिट व ₹ 1,162.68 करोड़ क्रेडिट आर0बीडी0 सस्पेन्स में विघमान है।

2.11 वैलिडेशन सेल से सम्बन्धित कमियों/त्रुटियों का पाया जाना।

कोषागारों द्वारा एन0पी0एस0 की कटौती मुख्य लेखाशीर्ष 834201117 में की जा रही है जबकि यह मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची (महालेखानियंत्रक द्वारा जारी) के अनुसार लेखाशीर्ष 834200117 में की जानी चाहिये। इसके अलावा एस0जी0एच0एस0 की कटौती बिना किसी लेखाशीर्ष के की जा रही है जो नियमानुकूल नहीं है।

भाग- तीन

वित्तीय वर्ष **2021-22** में कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ / त्रुटियाँ

''भाग-3**:** कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियां''

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें :

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड महामारी के दौर में केवल 07 कोषागारों तथा 07 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2021–22 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण परिशिष्ट–(10) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(10)

अनुशंसाः–निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2021–22 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2021–22	151	612
वर्ष के दौरान निरीक्षण	14	146
वर्ष के दौरान निस्तारण	43	232
वर्ष के अन्त में शेष	122	526

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों का तीन वर्षों का विवरण :–

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2019–20 तक	100	347
2020–21	8	33
2021–22	14	146
योग	122	526

3.2 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ

3.2.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या–21/XXVII(7)/CPS/2005 दिनांक 25-10-2005 के अनुसार नई पेंशन स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + डी0ए0) का 10 प्रतिशत् कटौती और 14 प्रतिशत् राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नवनियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके ''खाता संख्या'' का आवंटन करायें परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

परिशिष्ट–(11)

3.2.2 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 के नियम 469–क (ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए तथा दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 के परिशिष्ट–(21) के अनुसार जिला कोषागार का निरीक्षण वर्ष में एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट–(12) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(12)

3.3 वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ

3.3.1 तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित पी0एल0ए0 खातों को बंद न करने के संबंध में।

शासनादेश संख्या 17/ XXVII (10)/2015/2019, दिनांक 08.01.2020 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों को महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के परामर्श से बन्द कर दिया जाना चाहिए था तथा अवशेष धनराशि को सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी कोषागार उत्तरकाशी के पी0एल0ए0 खातों को बन्द नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. जिला समाज कल्याण विभाग, उत्तरकाशी
2. जिला विकास निधि, उत्तरकाशी
3. जिला पंचायती राज, उत्तरकाशी

3.3.2 वैयक्तिक लेखा खाता लेखाशीर्ष 8443–00–106 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 121/**xxvii**(14)/2013 दिनांक 12.07.2013 एवं शासनादेश संख्या 17/21/**xxvii**(10)/2015/2019 दिनांक 08.01.2020 के अनुसार राज्य समेकित निधि के अनुदानित वैयक्तिक लेखा खाता लेखाशीर्ष 8443–00–106 के अंतर्गत खोले गए खातों की वित्तीय वर्ष के अंत में (31 मार्च) शेष राशि को राज्य समेकित निधि में अभ्यर्पण किए जाने का प्रावधान है। निरीक्षण में पाया गया कि कोषागारों द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप साईबर कोषागार से संचालित कुल 05 वैयक्तिक लेखा खाता धारकों का इस खाते में दिनांक 31.03.2021 को निम्नतः धनराशि शेष थी जिसको समेकित निधि के अंतर्गत अभ्यर्पित न कर अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेसित कर दिया गया :–

क्र0सं0	विभाग	**PLA Code**	31 मार्च, 2021 को शेष धनराशि जिसे अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेसित किया गया (राशि ₹ में)
1	सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।	825401	2,21,57,000
2	पुलिस महानिदेषक, देहरादून।	861001	6,59,44,450
3	शहरी विकास निदेषालय, देहरादून।	862401	2,69,74,077
4	महानिदेषक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।	863301	33,69,98,762
5	निदेषक, आई0सी0डी0एस0, देहरादून।	863501	₹ 8,48,94,737

3.3.3 पी.एल.ए. खातों से भुगतानित धनराशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध न होना।

उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या XXVII (6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29/03/2019 के माध्यम से समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) की व्यवस्था लागू किये जाने के बाबत् पी.एल.ए. खातों से निकासी केवल बिल के आधार पर सीधे सम्बन्धित वेंडर/संस्था/फर्म/ठेकेदार आदि के बैंक खातो में किये जाने का प्रावधान है तथा किसी भी परिस्थिति में धनराशि का हस्तानान्तरण पी.एल.ए. प्रशासक के बैंक खातों में नहीं की जाएगा।

उक्त निर्धारित नियम के आलेख में कोषागार का दायित्व है कि पी.एल.ए. खातों से निकासी करते समय कड़ी निगरानी बरतते हुए यह सुनिश्चित करे कि भुगतानित धनराशि सीधे सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में ही की जाये तथा इस सम्बन्ध में अपने कोषागार स्तर पर ऐसे अभिलेख का रख रखाव भी सुनिश्चित करें।

कोषागार के पी.एल.ए. खातो के अभिलेखों की जाँच में पाया गया है कि वर्ष 2020–21 (March 2021) में धनराशि ₹ 5,24,91,818/– का भुगतान पी.एल.ए. खातो से किया गया है परन्तु कोषागार स्तर पर ऐसे किसी अभिलेख का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो कि भुगतानित धनराशि सीधे ठेकेदारों/फर्मों/संस्थाओं के बैंक खातों में की गयी है। इस सन्दर्भ में कोषागारों को पी0एल0ए0 खातों में उक्त अभिलेखों के रख–रखाव करने के लिए निर्देशित करें।

3.3.4 वार्षिक व्यपगत जमा का विवरण महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 351(A) एवं 352(A) के अनुसार जमा मद (Deposit) में भुगतान यदि तीन वर्ष के समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी जमा राशि को शासकीय खाते में जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के पश्चात् व्यपगत (Lapse) किया जाना प्रावधानित है। तद्उपरान्त इसका भुगतान महालेखाकार के स्वीकृति आदेश पर किया जाता है। कोषागार निरीक्षण में पाया गया कि इस नियम का पालन विभिन्न कोषागरों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप कोषागार बागेश्वर द्वारा दिनांक 31.03.2019 एवं 31.03.2021 को व्यपगत होने वाली राशि का विवरण जिलाधिकारी (D.M.) द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित नहीं किया गया है जो कि उक्त वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

3.3.5 व्यपगत जमा लेखा शीर्ष 8443–00–104 को ऋणात्मक होना एवं राशि का सत्यापन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 351(A) एवं 352 (A) के अनुसार जमा मद (Deposit) में भुगतान यदि तीन वर्ष के समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी जमा राशि को शासकीय खाते में जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के पश्चात् व्यपगत (Lapse) किया जाना प्रावधानित है। तद्उपरान्त इसका भुगतान महालेखाकार के स्वीकृति आदेश पर किया जाता है। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि प्रायः कोषागारों द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप कोषागार हल्द्वानी के लेखा शीर्ष "8443-00-104" (Civil Court Deposit) में वर्ष के Opening Balance एवं Closing Balance को कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है। अतः 8443–00–104 (Civil Court Deposit) के Closing Balance एवं Opening Balance ऋणात्मक पाए गये। वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 से सम्बन्धित व्यपगत जमा राशियों का ब्यौरा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने के कारण महालेखाकार द्वारा कोषागार, हल्द्वानी को लौटाये गये है एवं इन वर्षों से सम्बन्धित व्यपगत जमा धनराशियों का ब्यौरा आज तक कार्यालय महालेखाकार में अप्राप्त है।

3.4 द्वितालक कक्ष में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में।

3.4.1 द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 38(ग) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार के द्वितालक कक्ष में सील बन्द पैकेट के रूप में रख सकते हैं तथा ऐसे सभी पैकेट का प्रति वर्ष मई माह में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन कर पुनः सुरक्षित द्वितालक कक्ष में सील बन्द कर रखा जाना चाहिए। निरीक्षण किये गए निम्नलिखित कोषागारों के द्वितालक कक्ष में रखी बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों द्वारा न करके नियमों की अनुपालना नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार का नाम
1	हल्द्वानी
2	बागेश्वर
3	देहरादून

3.4.2 कोषागार के द्वितालक कक्ष में ₹ 16,50,95,500/– गैर न्यायायिक स्टाम्पों का निष्प्रयोज्य पाया जाना।

कोषागार हल्द्वानी के द्वितालक कक्ष में रखी Non-Judicial Stamps दिनांक 06.10.2018 को अंतिम बार जारी किया गया था उसके बाद वर्तमान समय दिनांक 04.10.2021 तक कोई Non-Judicial Stamps जारी नहीं किया गया है। कोषागार हल्द्वानी एवं उत्तरकाशी में द्वितालक कक्ष में ₹ 16,50,95,500/–का स्टाम्प का भंडारण है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

एक स्टाम्प का मूल्य (₹)	स्टाम्प की संख्या	स्टाम्प की कुल धनराशि (₹)
500	3100	15,50,000
1,000	32300	3,23,00,000
5,000	5400	2,70,00,000

10,000	700	70,00,000
15,000	900	1,35,00,000
10	20	200
100	03	300
500	2358	11,79,000
1,000	8376	83,76,000
5,000	4092	2,04,60,000
10,000	4131	4,13,10,000
20,000	621	1,24,20,000
कुल धनराशि		₹ 16,50,95,500

उत्तराखण्ड राज्य में ई–स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोषागार/उपकोषागार में उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न श्रेणी के स्टाम्प अतिरिक्त मात्रा में द्वितालक कक्ष में विद्यमान हैं उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ई–स्टाम्प बैंकों के माध्यम से भी जारी किया जा रहा है। उक्त निष्प्रयोज्य स्टाम्पों की बिक्री कोषागार से नहीं होने से निस्तारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

3.4.3 कोषागार में डबल लॉक के बाहर स्थापित अग्निशमन उपकरणों का न भरवाया जाना।

उपकोषागार/कोषागार में आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित होने चाहिए। कोषागार के महत्वपूर्ण अभिलेखों/उपकरणों (कम्प्यूटर आदि) तथा बहुमूल्य मदों/स्टाम्पों की सुरक्षा हेतु उक्त से सम्बन्धित सभी कमरों के बाहरी दीवारों पर अग्निशमन अधिकारी की अनुशंसानुसार अग्निशमन यंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे अचानक आग लगने की स्थिति में इनका प्रयोग कर कोषागार की आग से सुरक्षा की जा सके। परन्तु निम्न उपकोषागारों/कोषागारों में स्थापित अग्निशमन यंत्रों को रिफिलिंग की समाप्ति तिथि निकल जाने के पश्चात् भी रिफिलिंग नहीं करवायी गयी जो कि बहुत गम्भीर लापरवाही है तथा ऐसी स्थिति में आगजनी की घटना में काफी हानि हो सकती है।

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	अग्निशमन यंत्रों की संख्या
1	हल्द्वानी	07
2	नरेन्द्रनगर	06
3	कालाढूंगी	04

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.10.2010 को कोषागार नैनीताल भवन में हुए भीषण अग्निकांड के कारण कोषागार में अभिलेखों एवं भवन को भारी नुकसान पूर्व में हो चुका है।

3.4.4 द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु निर्धारित पुलिस गार्ड के सापेक्ष कम नियुक्ति/तैनाती होना।

कोषागारों के द्वितालक/एकतालक कक्ष की सुरक्षा से सम्बन्धित स्वीकृत/निर्धारित गार्ड का पुलिस अधीक्षक का आदेश एवं गार्डवीट की जांच में पाया गया कि उक्त द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु स्वीकृत बीट संतरी के सापेक्ष कम संतरियों की तैनाती पायी गई जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	स्वीकृत बीट संतरी के पद	तैनात बीट संतरियों की संख्या
1	हल्द्वानी	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल एवं 03 कांस्टेबल
2	उत्तरकाशी	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	03 कांस्टेबल
3	देहरादून	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	02 कांस्टेबल

पुलिस गार्ड की मानक के सापेक्ष कम तैनाती द्वितालक कक्ष की सुरक्षा के प्रति उदासीनता एवं जोखिम भरा कदम है।

3.5 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं ।

3.5.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। विवरण परिशिष्ट–(13) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(13)

3.5.2 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ता है तथा साथ ही ऐसे आदेशों का उल्लघंन भी हो रहा है। विवरण परिशिष्ट–(14) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(14)

3.5.3 कोषागार डाटा बेस में 38 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80,85,90,95 एवं 100 वर्ष की आयु–वर्ग के पेंशनरों को मूल पेंशन के अलावा 20,30,40,50 एवं 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने के प्रमाण–पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए ऐसे प्रमाण–पत्र को (जो लागू हों) सम्बन्धित पेंशनर के सेवानिवृत्ति माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि, जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है। अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अति आवश्यक है ताकि उक्त आदेश की निगरानी/नियंत्रण किया जा सके एवं पात्र पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। विवरण परिशिष्ट–(15) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(15)

3.5.4 पश्चिम बंगाल सरकार के पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को **Ex-gratia** का भुगतान न किया जाना।

पश्चिम बंगाल सरकार के शासनादेश संख्या 256-F(Pen)/1P-1(16)/11 दिनांक 29.05.2019 के अनुसार वर्ष 2019 में Ex-gratia ₹ 2,100/–1725-F(P2) दिनांक 13.05.2020 के अनुसार वर्ष 2020 में Ex-gratia ₹ 2,200/– और 1494-F(P2) दिनांक 06.05.2021 के अनुसार वर्ष 2021 में Ex-gratia ₹ 2,500/– का भुगतान किया जाना था किन्तु उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान निर्धारित दरों से नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	2019	2020	2021	कुल राशि (₹) में
1	हल्द्वानी	8	2100	2200	2500	6,800
2	उत्तरकाशी	2	2100	2200	2500	6,800
3	नरेन्द्रनगर	2	2100	2200	0	4,300

3.6 समय पर बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान न करने से ₹ 20,514.21/– की शासकीय हानि होना।

कोषागार बागेश्वर के आकस्मिक व्यय का निरीक्षण करने पर पाया गया कि कोषागार बागेश्वर द्वारा समय पर लेखाशीर्ष (''2054–00–097–03–00–25''–उपयोगी बिलों का भुगतान) न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 20,514.21/– का विलम्ब शुल्क निम्नवत् जमा कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :–

बिल अवधि	जमा की गयी बिल की धनराशि (₹) में	जमा किया गया विलम्ब शुल्क (₹) में	
4/2020 से 6/2020	20,850	2,067	उत्तराखण्ड जल संस्थान
7/2020 से 9/2020	27,781	4,118	
1/2021 से 3/2021	35,203	5,870	
4/2021 से 6/2021	39,998	7,600	
28/3/2020 से 16/4/2020	15,958	29.8	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन
31/7/2020 से 26/9/2020	14,575	86.87	
26/2/2021 से 14/3/2021	34,272	328.27	
14/3/2021 से 01/5/2021	12,892	414.27	
कुल योग	₹ 2,01,529	₹ 20,514.21	

3.7 विभिन्न एजेंसी बैंको द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् राज्य के खाते में जमा धनराशियों पर दण्डात्मक ब्याज की गणना न किया जाना।

भारतीय रिजर्व बैंक के Memorandum of instruction/Circular DGBA-GAD 1377/31.4.008/2002-2003 दिनांक 22.02.2003 के पैरा 5.11, उत्तरवर्ती Circular DGBA-GAD-No.-H-14061/31.04. 008/2006-07 दिनांक 21.03.2007 और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के उपरान्त जारी 'Standard Operating Procedure for Reserve Bank Deposits' के पैरा–7 के निर्देशानुसार कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों द्वारा अपने कोषागार/उपकोषागार में प्राप्त Scrolls/Challans की Scrutiny कर (उक्त परिपत्रों में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार) ऐसी सरकारी प्राप्तियों पर, जिन्हें सम्बन्धित एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय–समय पर नियमानुसार यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् सरकारी लेखों में जमा कराया है, पर दण्डात्मक ब्याज की गणना कर सम्बन्धित एजेंसी बैंक के लिंक सैल से उक्त का दावा किया जाना व उक्त दावे सम्बन्धित अभिलेख या विवरण की प्रति उपरोक्त वसूली पर निगरानी हेतु कार्यालय महालेखाकार को भेजा जाना प्रावधानित है।

ऐसे कोषागारों/उपकोषागारों का विवरण निम्नवत् है जिनके स्तर पर दण्डात्मक ब्याज की गणना नहीं की गई है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	हल्द्वानी
2	बागेश्वर
3	काण्डा
4	कपकोट

3.8 कोषागार/उपकोषागार में **IFMS** प्रणाली से सम्बन्धित अनियमितताओं एवं त्रुटियों का पाया जाना।

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या XXVII (6)/430 ,d/2008/2019 दिनांक 19.03.2019 सहपठित 480/XXVII (6)/430 एक/2016/2019 दिनांक 11.12.2020, XXVII (6)/430 एक/2018/2019 दिनांक जुलाई, 2019 द्वारा राज्य में IFMS प्रणाली लागू की गयी एवं स्पष्ट निर्देश कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारियों को उक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये कि पूरा काम IFMS प्रणाली के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

कोषागार हल्द्वानी, कोषागार बागेश्वर, उपकोषागार काण्डा, उपकोषागार कपकोट एवं कोषागार उत्तरकाशी में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के निरीक्षण में लेखों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच IFMS Portal (नमूना माह मार्च, 2021) पर किये जाने पर निम्नलिखित त्रुटियां पायी गई है:–

1- वाउचरों पर e-sign नहीं है।

2- अधिकतर वाउचरों के साथ कोई संलग्नक अपलोड नहीं है (उदाहरणतः वाउचर B22250007 दिनांक 04.03.2021)।

3- Cash Account में कई Major Head के Details of Head Code में केवल Major Head ही प्रदर्शित है। उत्तरवर्ती कोई description (Sub Major Head-Minor Head-Sub Head-Detailed Head-Object Head) प्रदर्शित नहीं है।

4- Cash Account में कई Major Head के Details of Head Code में short description Cash Account प्रदर्शित नहीं है।

5- Voucher में कार्मिकों एवं अधिकारियों द्वारा State Government Health Scheme से सम्बन्धित अंशदान एवं मुख्यमन्त्री राहत कोष/प्रधानमन्त्री राहत कोष को दिये जाने वाले अंशदान को Bill/Voucher में लेखे में (A/c. for) लेखाबन्द नहीं किया जा रहा है। जबकि Voucher के साथ संलग्न दस्तावेज "Summary of Deduction" में इसकों दर्शाया जाता है।

6- ऐसे पेंशनर्स जो 09.11.2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश में कार्यरत थें, तत्पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य बनने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य में अपनी सेवायें दी और सेवानिवृत्त हो गये, के Pension वितरण करते समय Detailed Head 02 को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है 2071-01-109-03 01- U.P. 12 एवं 2071-01-109-03-02-उत्तराखण्ड Pension & Retirement Benefit नियमतः 01 Detailed Head के अन्तर्गत एक ही Amount दर्शाया/बुक करना प्रावधानित है।

7- इस सिस्टम के अन्तर्गत डाटा इनपुट किए जाने के साथ ही उस डाटा का बिल हार्डकॉपी भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सिस्टम में बिल में आहरण वितरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है। कई बिलों से सम्बंधित अन्य समर्थित वाउचर भी दृष्टिगोचर नहीं है तथा बिल भी पूर्ण रुप से दृष्टिगत नहीं हो पाते हैं।

8- IFMS के अन्तर्गत कोषागार के अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों का डाटाबेस में कुल 81 आहरण वितरण अधिकारी का ई0–मेल आई0 डी0 तथा फोन नम्बर नहीं पाया गया है।

आहरण वितरण अधिकारियों का डाटाबेस IFMS में डी0डी0ओ0 के द्वारा इंगित करने पर कोषाधिकारी द्वारा Update किया जाता है। कोषागार स्तर पर केवल कर्मचारियों के कोड संख्या अपडेट की जाती है।

3.9 कोषागार में **IFMS Portal** में **IT Security** मानक स्तर का नहीं होना।

साइबर कोषागार में IT security के निरीक्षण में IFMS Portal के Application में निम्न कमियॉ पाई गई जो IT Security के मानक स्तर के अनुरूप नहीं है।

1. **Transaction** की **Security**

साइबर कोषागार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा IFMS Portal के अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले लेन देन के ब्योरे में प्रविष्टिकर्ता को केवल User ID एवं Pasword की Security प्रदान की गई है, जबकि प्रविष्टिकर्ता को Security हेतु Biometic/Electronic thumb press/ digital certificate or OTP based Security प्रदान किया जाना चाहिए।

2. **Online** मासिक सिविल लेखा

Online मासिक सिविल लेखा के e- voucher, IFMS से Download करने पर न तो Digitally Certified किया जा रहा है, और न ही E- Signature द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है।

3. IFMS Portal में voucher के साथ Supporting documents संलग्न करने का प्रावधान हैं, लेकिन देखने में आया है कि कुछ वाऊचरों के Supporting documents संलग्न नही किये जा रहे हैं।

4. पेंशन **Application**

पेंशनर द्वारा Life certificate, online प्रस्तुत करने का Module है, जबकि यह सूचारू रूप से संचालित नहीं है, जिसके फलस्वरूप पेंशनर को उपस्थित होकर Life certificate, online प्रस्तुत करना होता है। साथ ही पेंशनर को Software में आधार संख्या के साथ जोड़े जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

3.10 उपकोषागार ढुंगनाकुरी की शुरुआत 04/2016 से कि जानी थी परन्तु वर्तमान में ढुंगनाकुरी क्रियाशील नहीं है।

उपकोषागार ढुंगनाकुरी की शुरुआत 04/2016 से कि जानी थी परन्तु अभी तक उपकोषागार के सभी काम जैसे जमा एवं व्यय से सम्बन्धित कार्य, पेंशन से सम्बन्धित कार्य, बागेश्वर कोषागार से ही किये जा रहे हैं। उक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उपकोषाधिकारी द्वारा बताया गया कि ढुंगनाकुरी में किसी प्रकार का कोई Internet connectivity जैसे Optical Fiber Cable (OFC), SWAN/VSET की व्यवस्था नहीं है।

उपकोषागार ढुंगनाकुरी में Outsourcing से एक ऑफिसियल को रखा गया है, शेष 03 अधिकारी/कर्मचारी बागेश्वर से ही कार्य करते है। यघपि उपकोषाधिकारी ढुंगनाकुरी/वरिष्ठ कोषाधिकारी बागेश्वर ने समय–समय पर निदेशक कोषागार से उपकोषागार ढुंगनाकुरी को Internet connectivity देने से सम्बन्धित पत्राचार किया, परन्तु अभी तक कोई Connectivity प्राप्त नहीं करायी गयी। यहाँ इससे भी अवगत कराना है कि उपकोषागार ढुंगनाकुरी के रख–रखाव पर ₹ 1,06,800/–(किराया+कर ₹ 84,000/– एवं अतिरिक्त व्यय ₹ 22,800/–) व्यय किया गया है, जबकि सम्पूर्ण कार्य बागेश्वर से हो रहा है। इस प्रकार शासकीय धन का सही उपयोग नहीं किया जाना परिलिक्षित हो रहा है जोकि नियमतः गलत है।

3.11 सैनिक पेंशनरों को **Defence Pension Disbursement Officer (DPDO)** देहरादून को हस्तानांतरित नहीं किया जाना।

नियंत्रक लेखा सैनिक पेंशन प्रयागराज के पत्र सं0 दिनांक 18.10.2006 एवं तत्पश्चात् निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड के पत्र सं0 31.10.2006 में दिए हुए निर्देशों के अनुसार सभी सैनिक पेंशनरों को राष्ट्रीय बैंकों से पेंशन दिए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। परन्तु उपकोषागार ढुंगनाकुरी से पेंशन प्राप्त करने वाले सैनिक पेंशनरों के पी.पी.ओ. इत्यादि Defence Pension Disbursement Officer (DPDO), देहरादून प्रेषित नहीं किये गये है।

निम्न सैनिक पेंशनरों पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान उप कोषागार से किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्रम सं0	नाम	पी. पी.ओ.सं0
1.	श्रीमती जानकी देवी	F/370/72
2.	श्रीमती पदमा देवी	F/NA/896/93

3.12 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं होना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 266/45@XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनरीक्षण कर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि कुछ कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की संख्या
1.	कोषागार बागेश्वर	8
2.	उपकोषागार काण्डा	3
3.	उपकोषागार कपकोट	4
4.	कोषागार नरेन्द्रनगर	2
5.	ढुंगनाकुरी	1

3.13 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर–3 के अनुसार कोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र–16–ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराना चाहिए परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रामण–पत्र लिया गया। वर्ष 2019–20 में निरीक्षण दलों द्वारा कोषागार, नरेन्द्रनगर में जांचे गये प्रकरणों में आयकर के रूप में कोई कटौती नहीं की जा रही है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0.	पेंशनर का नाम	**GRD** सं0	वर्ष 2019–20 में आहरित कुल पेंशन (₹) में	आयकर की कटौती
1.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	C01S74626	8,36,610	शून्य
2.	श्री बिरेन्द्र कुमार बगबारी	C01S25731	5,19,052	शून्य
3.	श्री बिरेन्द्र सिंह महर	C01S05913	5,41,174	शून्य
4.	श्री जोखन प्रसाद यादव	C01S70745	6,20,329	शून्य

3.14 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेंशनरों को भुगतानित पेंशन धनराशि ₹ 6.70 करोड़ के भुगतान की प्रतिपूर्ति न होना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 248–नओ–3–उ/पेंशन/2002 दिनांक 21.10.2003 तथा 449/04/248/नओ–3–उ/पेंशन/02 दिनांक 09.03.2004 के अनुसार 14.01.2001 से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा नियुक्त एवं राज्य बनने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड में नये गठित उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के भुगतान की कार्यवाही को निगमों के कार्मिकों से पेंशन/ग्रेच्यूटी के लिए ली जा रही अंशदान की धनराशि (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 19.08 प्रतिशत) को प्रत्येक माह के लिए अगली माह की 7 तारीख तक राज्य सरकार के खाते में सम्बन्धित निगमों द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में कोषागार बागेश्वर द्वारा परिशिष्ट–(16) में दर्शायी गई तालिका के अनुसार भुगतान किया गया है, जिसकी उक्त निगमों द्वारा प्रतिपूर्ति का कोषागार में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया।

परिशिष्ट–(16)

परिशिष्ट
1 से 16 तक

(परिशिष्ट-**1)** पैरा- **1.2**

उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिंग / नान बैंकिंग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1.	1. बेतालघाट	बैंकिंग
				2.	2. कोशियाकुटोली	बैंकिंग
				3.	3. रामनगर	बैंकिंग
				4.	4. कालाढूँगी	बैंकिंग
				5.	5. धारी	बैंकिंग
		2	हल्द्वानी		कोई नहीं	बैंकिग
2	उधमसिंहनगर	3	उधमसिंहनगर	6.	1. जसपुर	बैंकिंग
				7.	2. काशीपुर	बैंकिंग
				8.	3. बाजपुर	बैंकिंग
				9.	4. गदरपुर	बैंकिंग
				10.	5. किच्छा	बैंकिंग
				11.	6. सितारगंज	बैंकिंग
				12.	7. खटीमा	बैंकिंग
3	अल्मोड़ा	4	अल्मोड़ा	13.	1. भिकियासैंण	बैंकिंग
				14.	2. ताकुला	बैंकिंग
				15.	3. लमगड़ा	बैंकिंग
				16.	4. मौलेखाल	बैंकिंग
				17.	5. चौखुटिया	बैंकिंग
				18.	6. द्वाराहाट	बैंकिंग
				19.	7. दन्या	बैंकिंग
				20.	8. देघाट	बैंकिंग
				21.	9. सोमेश्वर	बैंकिंग
		5	रानीखेत		कोई नही	बैंकिंग
4	पिथौरागढ़	6	पिथौरागढ़	22.	1.बेरीनाग	बैंकिंग
				23.	2.डीडीहाट	बैंकिंग
				24.	3.मुनस्यारी	बैंकिंग
				25.	4.धारचूला	बैंकिंग
				26.	5.अस्कोट	बैंकिंग
				27.	6.थल	बैंकिंग
				28.	7.गणाई गंगोली	बैंकिंग
				29.	8.गंगोलीहाट	बैंकिंग
				30.	9.देवलथल	बैंकिंग
				31.	10- नाचनी	बैंकिंग
5	बागेश्वर	7	बागेश्वर	32.	1. कपकोट	बैंकिंग
				33.	2. गरूड़	बैंकिंग

				34.	3. काण्डा	बैंकिंग
				35.	4. ढुंगनाकुरी	बैंकिंग
6	चम्पावत	8	चम्पावत	36.	1. पाटी	बैंकिंग
				37.	2. लोहाघाट	बैंकिंग
				38.	3. टनकपुर	बैंकिंग
7	देहरादून	9	देहरादून	39.	1. ऋषिकेश	बैंकिंग
				40.	2. विकासनगर	बैंकिंग
				41.	3. मसूरी	बैंकिंग
				42.	4. त्यूनी	बैंकिंग
				43.	5. चकराता	बैंकिंग
		10	साईबर टेजरी, देहरादून	कोई नही		बैंकिंग
8	हरिद्वार	11	हरिद्वार	44.	1. हरिद्वार	बैंकिंग
		12	रूड़की	45.	2. लक्सर	बैंकिंग
9	नई टिहरी	13	नई टिहरी	46.	1. देवप्रयाग	बैंकिंग
				47.	2. घनसाली	बैंकिंग
				48.	3. थत्यूड़	बैंकिंग
				49.	4. प्रतापनगर	बैंकिंग
				50.	5. नैनबाग	बैंकिंग
		14	नरेन्द्रनगर	कोई नही		बैंकिंग
10	रूद्रप्रयाग	15	रूद्रप्रयाग	51.	1.अगस्तमुनी	बैंकिंग
				52.	2.ऊखीमठ	बैंकिंग
				53.	3.जखोली	बैंकिंग
11	पौड़ी	16	पौड़ी गढ़वाल	54.	1.श्रीनगर	बैंकिंग
				55.	2.सतपुली	बैंकिंग
				56.	3.थैलीसैण	बैंकिंग
				57.	4.धूमाकोट	बैंकिंग
		17	कोटद्वार	कोई नही		बैंकिग
		18	लैन्सडाउन	कोई नही		बैंकिग
12	चमोली	19	चमोली (गोपेश्वर)	58.	1.कर्णप्रयाग	बैंकिंग
				59.	2.थराली	बैंकिंग
				60.	3.जेशीमठ	बैंकिंग
				61.	4.घाट	बैंकिंग
				62.	5.पोखरी	बैंकिंग
				63.	6.गैरसैण	बैंकिंग
				64.	7.नारायणबगड़	बैंकिंग
				65.	8.देवाल	बैंकिंग
				66.	9.चमोली	बैंकिंग

13	उत्तरकाशी	20	उत्तरकाशी	67.	1.पुरोला	बैंकिंग
				68.	2.भटवाड़ी	बैंकिंग
				69.	3.डुण्डा	बैंकिंग
				70.	4.राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिंग
14	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	21	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		कोई नही	बैंकिंग

(परिशिष्ट-2) पैरा-2.2
त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन

S.No.	Name of Treasury	Total No. of cases received	No. of cases admitted	No. of cases returned for want of any information	Total no. of correction	Amount adjusted in (₹)	
						Receipt	payment
1.	Dehradun	03	02	01	02	10,11,922	Nil
2.	Pithoragarh	05	05	nil	11	1,65,196	Nil
3.	Udham Singh Nagar	06	05	01	28	6,66,884	Nil
4.	Almora	28	16	12	17	3,03,906	Nil
5.	Pauri Garhwal	02	01	01	01	nil	5,41,452
6.	Chamoli	14	11	03	14	1,42,12,579	20,040
7.	Kotdwar	04	02	02	04	3,218	2,25,000
8.	Bageshwar	05	05	nil	09	2,83,667	Nil
9.	Haldwani	10	10	nil	10	4,67,451	Nil
10.	Nainital	09	02	07	33	6,27,670	1,00,000
11.	Haridwar	00	00	nil	00	nil	Nil
12.	Lensdown	02	01	01	03	nil	2,50,000
13.	Uttarakashi	03	01	02	01	nil	1,12,208
14.	Rudraprayag	04	04	nil	06	2,42,149	Nil
15.	Roorkee	11	07	04	09	3,98,251	Nil
16.	PAO Delhi	00	00	nil	00	nil	Nil
17.	Narendra Nagar	01	01	nil	01	9,900	Nil
18.	Tehri Garhwal	01	01	nil	01	1,30,059	Nil
19.	Champawat	05	05	nil	08	5,88,634	Nil
20.	Cyber Treasury	05	03	02	05	6,99,800	**nil**
	Total	**118**	**82**	**36**	**163**	**1,98,11,286**	**12,48,700**

(परिशिष्ट-3) पैरा-2.3
विभिन्न बजट अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 त्रैमासिक आय–व्ययक मिलान की स्थिति

क्रम सं.	बजट नियंत्रण अधिकारियों / विभागाध्यक्षों का नाम	प्राप्ति शीर्ष	अनुदान सं0	व्यय शीर्ष	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th
					व्यय पक्ष मिलान स्थिति				प्राप्ति पक्ष मिलान स्थिति			
1	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।		01	2011, 4059	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--
2	सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।		02	2012	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
3	सचिव / वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।		03,06,07	2013, 2070, 2052	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--
4	महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।		04	2014, 4059	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, 4,सुभाष रोड, देहरादून।		05	2015	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	--	--	--	--
6	मुख्य राजस्व	0029	06	2029,	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक

	आयुक्त, रिंग रोड, लाड़पुर, देहरादून।			2053, 4059								
7	सचिव, सामान्य प्रशासन, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0070	06,07	2053, 2070, 4059, 2052	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून।	0070	06	2070, 4059	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक
9	निदेशक, डा0 रधुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।	0075	06	2070,2075	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।		06	2245	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
11	कार्यालय आयुक्त,	0030,	07	2030,2040,	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक

	राज्य कर, उत्तराखण्ड मुख्यालय, देहरादून।	0040, 0045		2045								
12	निदेशक, राष्ट्रीय बचत, 48, बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून।	0047	07	2047	नहीं	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
13	रजिस्टार, चिट फण्ड, उत्तराखण्ड, 3/23, शास्त्री नगर रोड, देहरादून।	0047, 1475	07	2047	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं
14	प्रमुख, सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049, 2053,6044, 0594,216,, 4515	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	--	--	--	--
15	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049, 2052,3604, 4059,4216, 4515	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
16	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।		07	2054	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--

17	निदेशक, विभागीय लेखा, 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।	0071	07	2054, 2071	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, विभाग, उत्तराखण्ड।		07	3451,3454, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
19	आयुक्त, आबकारी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	0039	08	2039, 4059	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
20	सचिव, लोक सेवा आयोग गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार।	0051	09	2051, 4059	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
21	महानिदेशक, पुलिस, 12, सुभाष रोड, देहरादून।	55	10	2055, 4055, 4059	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक
22	महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0056	10	2056, 4059	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक
23	निदेशक, उच्च शिक्षा,	0202	11,30,31	2202, 4202	आंशिक	आंशिक	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

	नबावी रोड़, हल्द्वानी ।											
24	निदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उत्तराखण्ड पी–1, नागनाथ रोड, घंघोडा कैन्ट, देहरादून।	0202,	11	2202, 4202	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
25	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, नूनर खेडा, देहरादून।	0202,	11,30,31	2202, 4202	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
26	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मुख्यालय श्रीनगर, पौडी गढ़वाल, (कैम्पस रा0 पालीटेक्नीक)।	0202	11,30	2203, 4202, 2203	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
27	निदेशक, खेलकुद एवं युवा कल्याण, रायपूर, देहरादून।	0202	19,11,30 ,31	2515, 2204, 4202	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक
28	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, एम,डी,डी,ए,	0202	11,30,31	2205, 4202	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक

	कालोनी, डालनावाला, देहरादून।											
29	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेंवायें, उत्तराखण्ड़ देहरादून।	0210, 0211	12,30,31	2210, 2211, 4210, 4211	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
30	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड़, देहरादून।	0210	12,30	2210,4210, 4210	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
31	निदेशक, होम्योपैथी सेवायें उत्तराखण्ड, ग्राम गुलराडा, पो0 डाण्डा लखौड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, निकट आई टी0 पार्क, देहरादून।	0210	12,30,31	2210,4210	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
32	प्राचार्य, श्री वीरचन्द्र सिंह, गढ़वाली रा0 आर्युविज्ञान संस्थान, श्रीनगर,	0210	12	2210,4210	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

	पौडी गढ़वाल।											
33	सचिव, जलापूर्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0215	13,30,31	2215,4215, 2215	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0216, 0217	13,30,31	2217,4217	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
35	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उदय विहार, ब्राहमणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड, देहरादून ।		13,19	2217,4217, 2515,4059, 4515	आंशिक	पूर्ण	नहीं	आंशिक	_____	_____	_____	_____
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून ।	0220	14,30,31	2220,4059	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	निदेशक, समाज कल्याण, कालाढूंगी रोड, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी, नैनीताल।	0235, 0250	15,30,31	2225,2235, 2250,2251, 4225,4235, 4250,2225, 2235,4225, 4235	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
38	उप निदेशक,		15,30,31	2225,2225,	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	--	--	--	--

	निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास उत्तराखण्ड, 15 सी, कालीदास मार्ग, हाथी बड़कला, देहरादून।			2235,4225, 4235								
39	आयुक्त, श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0230	16,30,31	2210,2230, 4216,2210, 2230,4210	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
40	निदेशक, कृषि कैंप कार्यालय, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून।	0401	17,30,31	2401,2402, 2415,4401, 2401,2402	पूर्ण	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक
41	वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।		17	2415,4401	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	नहीं	--	--	--	--
42	निदेशक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर, ऊधम सिहं नगर।	0401	17,30,31	2401,4401, 2401	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
43	निबन्धक,	0425	18,30,31	2425,4425	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	पूर्ण	आंशिक	आंशिक

	सहकारी समितियाँ, 125, ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून।											
44	आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।	515	07,19,30 ,31	4515,2501, 2515,4515, 2501,2515, 4059,4515	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	नहीं
45	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।	0700, 0701, 0702	20,30,31	2700,2701, 2702,2705, 2711,4700, 4701,4702, 4711,4700, 4702,4711	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
46	सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।	0801, 0810	21,30,31	2801,2810, 4801	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण
47	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।	0059	22,30,31	2059,2216, 3054,4059, 5054,	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
48	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर,	0058	23	2058,4058	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण

	रूड़की।											
49	निदेशक, उघोग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0851, 0852, 0853, 0875	23,30,31	2851,2853, 3425,4851, 4859,4885, 2851	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0851, 0852, 0853, 0875	23,30,31	2851,2853, 3425,4851, 4859,4885, 2851	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
51	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हैलीड्रोम, P.O. कुल्हान, देहरादून 248013	1053	24	3053,5053, 5055	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं
52	आयुक्त, परिवहन कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	1055	24,30,31	3055,5055	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	नहीं
53	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग 8,ए बंगाली लाइब्रेरी रोड, देहरादून।	0408	25	2408,3456, 3475,4408	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण

54	सचिव, खाद्य नियन्त्रक बाट तथा माप, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	1475	25	3475	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
55	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, 3/3 इण्डस्ट्रिल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।	1452	26,30,31	3452,5452	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
56	प्रमुख वन सरंक्षक उत्तराखण्ड, 87, राजपुर रोड, देहरादून।	0406	27,30,31	2406,2407, 4406,2406, 4406,2406	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं
57	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, पो0 मोथरोवाला, देहरादून।	0403	28,30,31	2403,4403	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
58	आयुक्त, दुग्ध डेयरी, डेवलेपमेन्ट विभाग, उपनिदेशक डेयरी, विकास विभाग संपर्क, कार्यालय कैपस,	0404	28,30,31	2404,4404	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	आंचल डेरी, रायपुर, देहरादून।											
59	निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड, बाड़ासी ग्रान्ट, ग्राम घन्याडी, रायपुर, देहरादून।	0405	28,30,31	2405,4405, 2405	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
60	निदेशक, उद्यान निदेशालय, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।	0401, 0070	29,30,31	2401,4401, 2401	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
61	निदेशक, रेशम निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून।	0401, 0815	29,30,31	2401,4401, 2401	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक
62	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।		30,31	2202,2203, 2204,2205, 2210,2211, 2215,2217, 2220,2225, 2230,2235, 2401,2402, 2403,2404, 2405,2406, 2425,2501, 2515,2801,	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--

				2810,2851, 4059,4202, 4210,4211, 4217,4225, 4235,4403, 4406,4408, 4515,4700, 4702,4711, 4801,5054, 5055,5452								

(परिशिष्ट-4) पैरा-2.3

त्रैमासिक आय–व्यय आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची

1. आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड यमुना कालोनी देहरादून।
5. सचिव, सूचना एवं प्रौघोगिकी उत्तराखण्ड देहरादून।

(परिशिष्ट-5) पैरा-2.5
वर्ष 2021-22 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण

क्र.सं.	कोषागार	लेखा माह	लेखा प्राप्ति नियत दिनांक	प्राप्ति दिनांक	विलम्ब (दिन)
1	देहरादून	अप्रैल, 2021	10.05.2021	19.05.2021	9
		जून, 2021	08.06.2021	15.07.2021	7
		जुलाई, 2021	09.08.2021	13.07.2021	4
		अगस्त, 2021	08.09.2021	10.09.2021	2
		सितम्बर, 2021	08.10.2021	12.10.2021	4
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	15.11.2021	7
		नवम्बर, 2021	08.12.2021	14.12.2021	6
		दिसम्बर, 2021	10.01.2021	13.01.2022	3
		जनवरी, 2022	08.02.2022	15.02.2022	7
		फरवरी, 2022	08.03.2021	10.03.2021	2
		मार्च, 2022	08.04.2022	13.04.2022	5
2	हल्द्वानी	अप्रैल, 2021	10.05.2021	13.05.2021	3
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	12.11.2021	4
		मार्च, 2022	08.04.2022	12.04.2022	4
3	सी.पी.ए.ओ.देहरादून	अप्रैल, 2021	10.05.2021	21.05.2021	11
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	09.11.2021	1
4	नैनीताल	अप्रैल, 2021	10.05.2021	18.05.2021	8
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	09.11.2021	1
		मार्च, 2022	08.04.2022	09.04.2022	4

5	अल्मोड़ा	अप्रैल, 2021	10.05.2021	18.05.2021	8
		मई, 2021	08.06.2021	14.06.2021	6
		अगस्त, 2021	08.09.2021	10.09.2021	2
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	12.11.2021	4
		नवम्बर, 2021	08.12.2021	09.12.2021	1
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	12.01.2022	2
		जनवरी, 2022	08.02.2022	09.02.2022	1
6	पिथौरागढ़	अप्रैल, 2021	10.05.2021	13.05.2021	3
		मई, 2021	08.06.2021	10.06.2021	2
		अक्टूबर, 2021	08.11.2020	10.11.2021	2
		जनवरी, 2022	08.02.2022	09.02.2022	1
		फरवरी, 2022	08.03.2022	14.03.2022	6
		मार्च, 2022	08.04.2022	18.04.2022	10
7	नरेन्द्रनगर	अप्रैल, 2021	10.05.2021	17.05.2021	7
		मई, 2021	08.06.2021	15.06.2021	7
		अगस्त, 2021	08.09.2021	10.09.2021	2
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	12.01.2022	2
		जनवरी, 2022	08.02.2022	10.02.2022	2
8	चमोली	अप्रैल, 2021	10.05.2021	19.05.2021	9
		मई, 2021	08.06.2021	09.06.2021	1
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	10.11.2021	2
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	11.01.2022	1
		फरवरी, 2022	08.03.2022	09.03.2022.	1
		मार्च, 2022	08.04.2022	11.04.2022	3

9	उत्तरकाशी	अप्रैल, 2021	10.05.2021	13.05.2021	3
		अक्टबूर, 2021	08.11.2021	10.11.2021	2
		जनवरी, 2022	08.02.2022	23.02.2022	15
		फरवरी, 2022	08.03.2022	10.03.2022	2
		मार्च, 2022	08.04.2022	13.04.2022	5
10	पौड़ी	अप्रैल, 2021	10.05.2021	17.05.2021	7
		मई, 2021	08.06.2021	14.06.2021	6
		अगस्त, 2021	08.09.2021	09.09.2021	1
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	15.11.2021	7
		नवम्बर, 2021	08.12.2021	10.12.2021	2
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	13.01.2022	3
		जनवरी, 2022	08.02.2022	09.02.2022	1
		फरवरी, 2022	08.03.2022	14.03.2022	6
		मार्च, 2022	08.04.2022	13.04.2022	5
11	रूड़की	अप्रैल, 2021	10.05.2021	18.05.2021	8
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	11.11.2021	3
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	12.01.2022	2
12	कोटद्वार	अप्रैल, 2021	10.05.2021	17.05.2021	7
		मई ,2021	08.06.2021	10.06.2021	2
		जून, 2021	08.06.2021	14.07.2021	6
		जुलाई, 2021	09.08.2021	13.08.2021	4
		अगस्त, 2021	08.09.2021	10.09.2021	2
		सितम्बर, 2021	08.10.2021	13.10.2021	5
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	11.11.2021	3
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	11.01.2022	1
13	लैंन्सडॉन	अप्रैल, 2021	10.05.2021	18.05.2021	8
		जून, 2021	08.06.2021	14.07.2021	6
		जुलाई, 2021	09.08.2021	13.08.2021	4
		अगस्त, 2021	08.09.2020	10.09.2021	2
		सितम्बर, 2021	08.10.2021	14.10.2021	6
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	10.11.2021	4
		नवम्बर, 2021	08.12.2021	10.12.2021	2
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	13.01.2022	2
		जनवरी, 2022	08.02.2022	10.02.2022	2
		मार्च, 2022	08.04.2022	21.04.2022	13

14	नई टिहरी	अप्रैल, 2021	10.05.2021	21.05.2021	11
		मई, 2021	08.06.2021	11.06.2021	3
		अक्टूबर, 2021	08.11.2020	10.11.2021	2
		जनवरी, 2022	08.02.2021	11.02.2022	3
		फरवरी, 2022	08.03.2022	10.03.2022	2
		मार्च, 2022	08.04.2022	26.04.2022	18
15	हरिद्वार	अप्रैल, 2021	10.05.2021	13.05.2021	3
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	09.11.2021	1
		नवम्बर, 2021	08.12.2021	09.11.2021	1
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	12.01.2022	2
		जनवरी, 2022	08.02.2022	10.02.2022	2
16	उधम सिंह नगर	अप्रैल, 2021	10.05.2021	18.05.2021	8
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	11.11.2021	3
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	13.01.2022	3
		जनवरी, 2022	08.02.2022	11.02.2022	3
		फरवरी, 2022	08.03.2022	09.03.2022	1
		मार्च, 2022	08.04.2022	13.04.2022	5
17	चम्पावत	अप्रैल, 2021	10.05.2021	17.05.2021	7
		मई, 2021	08.06.2021	11.06.2021	3
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	17.11.2021	9
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	12.01.2022	2
		जनवरी, 2022	08.02.2022	16.02.2022	8
		मार्च, 2022	08.04.2022	11.04.2022	3
18	बागेश्वर	अप्रैल, 2021	10.05.2021	13.05.2021	3
		मार्च, 2022	08.04.2022	12.04.2022	4
19	रूद्रप्रयाग	जून, 2021	08.07.2021	12.07.2021	4
		अक्टबूर, 2021	08.11.2020	17.11.2021	9
		मार्च, 2022	08.04.2022	18.04.2022	10
20	पी0ए0ओ0 नई–दिल्ली	अगस्त, 2021	08.09.2020	14.09.2021	6
		सितम्बर, 2021	08.10.2021	12.10.2021	4
		अक्टूबर, 2021	08.11.2021	12.11.2021	4
		दिसम्बर, 2021	10.01.2022	19.01.2022	9
		जनवरी, 2022	08.02.2022	09.02.2022	1
		मार्च, 2022	08.04.2022	12.04.2022	18

(परिशिष्ट-6) पैरा- 2.6.1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 13 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के भुगतान से सम्बन्धित प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया जाना।

Sr. No.	Name of Treasury	No. of authorities returned	No. of authorities revalidated	Amount involved In (₹)
1	Dehradun	12	12	35,09,606
2	Haridwar	04	04	6,19,130
3	Pauri Garhwal	02	02	1,55,234
4	Chamoli	01	01	3,09,196
5	Rudraprayag	02	02	2,31,240
6	U.S. Nagar	04	04	7,00,427
7	Champawat	01	01	1,85,523
8	Nainital	27	27	80,04,842
9	Pithoragarh	01	01	2,54,742
10	Tehri	02	02	2,73,331
11	Srinagar (garhwal)	01	01	3,43,114
12	Jakholi (Rudraprayag)	01	01	4,02,555
13	Joshimath(Chamoli)	01	01	1,11,173

(परिशिष्ट-07) पैरा- 2.6.2

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 5 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 7 प्रकरण 90 प्रतिशत् अधिक भुगतान का संज्ञान में आना।

Sr. No.	Treasury	Amount in (₹)	No. of Cases	Remarks
1.	Dehradun	3,72,427	3	2 cases Settled
2.	Laksar (Haridwar)	1,87,381	1	--
3.	Almora	2,52,869	1	Settled
4.	Tehri	1,97,833	1	Settled
5.	Pithoragarh	18,249	1	--

(परिशिष्ट-08) पैरा- 2.6.3

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 6 कोषागारों के कुल 20 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या और नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस पर पोस्ट नहीं किया जाना।

Credit

Treasury	**No. of Items**	**Amount (in ₹)**
Almora	12	1,60,000
Haridwar	4	32,100
Pauri	1	25,000
Roorkee	1	6,000
Rudraprayag	1	10,000
Uttarkashi	1	20,000
Total	20	2,53,100

(परिशिष्ट-09) पैरा- 2.6.4

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 20 कोषागारों के प्राप्ति के **Full want/Part want** के कुल 681 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित पाया जाना।

Credit

Treasury	No. of Items	Amount (in ₹)
Almora	19	-67,450
Bagehswar	53	-3,52,194
Chamoli	40	-2,04,320
Champawat	7	-61,100
Dehradun	102	-6,84,637
Haldwani	20	47,300
Haridwar	16	-4,62,000
Kotdwar	6	-7,280
Lansdowne	7	-74,100
Nainital	142	80,439
N. Nagar	5	-27,900
Pauri	69	10,835
Pithoragarh	5	-72,500
Roorkee	3	-4,450
Rudraprayag	37	-2,99,300
Tehri	57	4,300
U.S. Nagar	68	-6,58,740
Uttarkashi	25	-2,49,606
Total	**681**	-31,40,838

(परिशिष्ट-10) पैरा-3.1
वर्ष 2021-22 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	कोषागार देहरादून	16.04.2021 से 27.04.2021
2	साईबर कोषागार देहरादून	04.08.2021 से 11.08.2021
3	उपकोषागार मसूरी	05.08.2021 से 07.08.2021
4	कोषागार नरेन्द्रनगर	09.08.2021 से 17.08.2021
5	उपकोषागार विकासनगर	27.09.2021 से 29.09.2021
6	कोषागार उत्तरकाशी	28.09.2021 से 06.10.2021
7	उपकोषागार भटवाड़ी	07.10.2021 से 11.10.2021
8	कोषागार हल्द्वानी	27.09.2021 से 05.10.2021
9	उपकोषागार कालाढूंगी	06.10.2021 से 08.10.2021
10	उपकोषागार ढुंगनाकुरी	22.11.2021 से 23.11.2021
11	कोषागार बागेश्वर	24.11.2021 से 01.10.2021
12	उपकोषागार कपकोट	02.12.2021 से 04.12.2021
13	उपकोषागार काण्डा	06.12.2021 से 08.12.2021
14	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड	14.12.021 से 21.12.2021 एवं 05.01.2021 से 13.01.2021

(परिशिष्ट-11) पैरा- 3.2.1

नई पेंशन स्कीम के अर्न्तगत कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित धनराशि की कटौती नहीं करने वाले कोषागार/उपकोषागार

क्र.सं.	कोषागार/ उपकोषागार	कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1.	उपकोषागार कालाढूंगी	11	TM/TI/2021-22/09
2.	उपकोषागार उत्तरकाशी	4	TM/TI/2021-22/06
	योग	15	

(परिशिष्ट–12) पैरा– 3.2.2

वित्तीय वर्ष 2021–22 में निरीक्षण नहीं किये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	साईबर कोषागार
2	कालाढूंगी
3	मसूरी
4	नरेन्द्रनगर

(परिशिष्ट–13) पैरा– 3.5.1

पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान का विवरण

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	देय राशि **(₹)** में			कुल देय राशि **(₹)** में (4) (1+2+3)	भुगतानित राशि **(₹)** में			कुल भुगतानित राशि **(₹)** में (8) (5+6+7)	अंतर ;देय. भुगतानित राशि **(₹)** में (4–8)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
			राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)		राशिकरण (5)	उपादान (6)	पेंशन (7)			
1	कोषागार हल्द्वानी	15		86,34,114	1,80,549	88,14,663		41,88,916	3,64,347	45,53,263	42,61,400	TM/TI/2021-22/8
2	कोषागार भटवाड़ी	3		16,97,615		16,97,615		17,45,130		17,45,130	– 47,515	TM/TI/2021-22/7
3	कोषागार देहरादून	1		4,79,024				4,68,832			10,192	TM/TI/2021-22/01
4	निदेशक कोषागार	4	28,65,278	50,89,516		79,54,794	27,80,716	47,04,746		74,85,462	4,69,332	TM/TI/2021-22/14
5	उपकोषागार कालाढूंगी	4		28,49,730		28,49,730		28,30,727		28,30,727	19,003	TM/TI/2021-22/9
6	उपकोषागार मसूरी	2		9,54,625		9,54,625		9,23,473		9,23,473	31,152	TM/TI/2021-22/2
7	कोषागार नरेन्द्रनगर	16		45,50,117	14,15,718	59,65,835		46,35,562	14,00,334	60,35,896	70,061	TM/TI/2021-22/4
8	कोषागार उत्तरकाशी	2		17,85,541		17,85,541		18,15,187		18,15,187	29,646	TM/TI/2021-22/6
		2		22,84,128		22,84,128		22,22,946		22,22,946	61,182	

(परिशिष्ट-14) पैरा- 3.5.2

अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ कम या नहीं दिया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	उपकोषागार हल्द्वानी	7	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2020-21/08
		3	बिहार	
2	उपकोषागार कपकोट	1	अरूणाचल प्रदेश	TM/TI/2020-21/12
3	कोषागार नरेन्द्रनगर	1	बिहार	TM/TI/2020-21/4
		3	हरियाणा	
4	कोषागार उत्तरकाशी	2	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2020-21/6
5	उपकोषागार विकासनगर	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2020-21/5
		1	त्रिपुरा	

(परिशिष्ट-15) पैरा- 3.5.3

डाटा बेस में पेंशनरों/**पारिवारिक** पेंशनरों **की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।**

क्रम सं0	**कोषागार/ उपकोषागार**	**पेंशनर की संख्या**	**निरीक्षण आख्या संख्या**
1.	उपकोषागार भटवाड़ी	12	TM/TI/2021-22/07
2.	कोषागार काण्डा	5	TM/TI/2021-22/13
3.	कपकोट	11	TM/TI/2021-22/12
4.	उत्तरकाशी	10	TM/TI/2021-22/06
	योग	**38**	04

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेंशनरों को भुगतानित पेंशन धनराशि **(₹)** 6.70 करोड़ के भुगतान की प्रतिपूर्ति न होना।

(परिशिष्ट-**16) पैरा- 3.14**

वित्तीय वर्ष **: 2019-20**		
क्रमांक	माह/वर्ष	पेंशन **(₹)**
1.	4/2019	25,58,239
2.	5/2019	22,56,581
3.	6/2019	16,33,636
4.	7/2019	18,14,546
5.	8/2019	48,59,681
6.	9/2019	1,01,25,309
7.	10/2019	19,61,700
8.	11/2019	30,48,047
9.	12/2019	20,80,663
10.	1/2020	17,13,653
12.	2/2020	82,277
13.	3/2020	66,044
Total-I		**(₹)** 3,22,00,376

वित्तीय वर्ष: **2020-21**		
1.	4/2020	18,56,277
2.	5/2020	51,86,697
3.	6/2020	47,63,588
4.	7/2020	18,73,560
5.	8/2020	25,73,842
6.	9/2020	18,91,647
7.	10/2020	20,85,589
8.	11/2020	19,30,366
9.	12/2020	18,83,045
10.	1/2021	20,29,679
11.	2/2021	62,04,684
12.	3/2021	25,92,984
योग-II		**(₹)** 3,48,71,958
कुल योग (I+II)		**(₹)** 6,70,72,334 (6.70 करोड़)